रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-210/2021/2271/22-2-2021-17(130)/2010

लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2021

आदेश

रिट पिटीशन (एस) (क्रिमिनल) संख्या (एस)-401/2021 श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-13117/1992) पुत्र श्री जलमा, निवासी-बचरौली, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-183ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 12.03.1977 एवं दिनांक 18.03.1977 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.1985 द्वारा यथावत रखा गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-17/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.07.1990 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2007 द्वारा यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-183ए/1975 के अन्तर्गत अपरिहार 35 वर्ष 01 माह 02 दिन तथा सपरिहार 50 वर्ष 00 माह 13 दिन एवं सत्र परीक्षण संख्या-17/1988 के अन्तर्गत अपरिहार 32 वर्ष 06 माह 12 दिन की भोगी गई सजा, संतोषजनक जेल आचरण, बंदी की वृद्धावस्था, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-210/2021/2271(1)/22-2-2021 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in